**उत्तर प्रदेश सरकार**
**उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड**
**19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,**
**लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001**

**<u>सूचना/विज्ञप्ति</u>**

**<u>महिलाओं के लिये जेल वार्डर की सीधी भर्ती-2016</u>**

पत्रसंख्याःपीआरपीबी-एक-2(कारा.वि.)/2016 दिनांकःदिसम्बर 20 ,2016

1.2- उत्तर प्रदेश **कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डर वेतनमान-पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे-2000 के 552 रिक्त पदों,** जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैं, को भरने के लिए महिला अभ्यर्थियों से **ऑनलाइन** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

| **क्र0सं0** | **श्रेणी** | **संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित | 277 |
| 2 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 149 |
| 3 | अनुसूचित जाति | 115 |
| 4 | अनुसूचित जनजाति | 11 |
| | **योग** | **552** |

1.2- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण शासन के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

1.3- शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

**<u>2.1- ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी-</u>**

| **क्र0सं0** | **विवरण** | **तिथि** |
|---|---|---|
| 1 | पंजीकरण आरम्भ होने की तिथि | 21-12-2016 |
| 2 | पंजीकरण की अन्तिम तिथि | 30-01-2017 |
| 3 | आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि | 01-02-2017 |
| 4 | आवेदन पत्र सबमिट करने की अन्तिम तिथि | 04-02-2017 |

**<u>टिप्पणी-</u>**

शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में उसका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन **'सबमिट'** करने का दायित्व अभ्यर्थी का है।

**2.2- आवेदन शुल्क**

इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क रू 200/- (रूपये दो सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।

**3- अर्हतायें:-**

**3.1-राष्ट्रीयता**

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,म्यॉमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

**टिप्पणीः-** ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

**3.2-शैक्षिक अर्हताः-**

भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

**टिप्पणीः-**

(1) पंजीकरण की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहियें। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे ।

(2) **आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।**

**3.3-अधिमानी अर्हतायें:-**

अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर-4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जायेगीः-

(1) डीओईएसीसी (DOEACC)/नाइलिट (NIELIT) सोसायटी से कम्प्यूटर मे 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी '' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

**<u>3.4- आयुः-</u>**

भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः-

अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2016 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1991 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1998 के बाद का नहीं होना चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) की अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

**<u>टिप्पणीः-</u>** यदि किसी अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई है, तो उसकी अधिकतम आयु सीमा की गणना उस वर्ष की 30 जून की तिथि में की जायेगी, जैसा कि अधिवर्षता की आयु की गणना के समय की जाती है।

**<u>3.5- चरित्र</u>**

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगें।

**<u>टिप्पणी-</u>**

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

**<u>3.6-वैवाहिक प्रस्थिति</u>-**

सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

**<u>3.7-शारीरिक स्वस्थता</u>**

किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

**<u>4-भर्ती की प्रक्रिया-</u>**

यह चयन *'उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली-2016'* के अधीन किया जायेगा।

## 4.1- 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर श्रेष्ठता सूची

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायेंगे उन सभी को, उनके द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड की अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। इन प्रदान किये जाने वाले अंकों में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 100 अंक एवं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 200 अंक प्रदान किये जायेंगे। उनको प्रदान किये जाने वाले ये अंक दशमलव के बाद दूसरे अंक तक लिये जायेगें एवं यह निम्नलिखित रीति से प्रदान किये जायेंगेः-

**(एक)-** 10वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंक = अभ्यर्थी द्वारा उसकी 10वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत।

**(दो)-** 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंक =2 X अभ्यर्थी द्वारा उसकी 12वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत।

अगर किसी परीक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं अथवा 12वीं की उपरोक्त किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों को अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान किये गये हैं तो सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड द्वारा ग्रेड के समकक्ष प्रदान किये जाने वाले अंकों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त 10वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान अंक एवं 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंकों का योग कर उसे कुल अंक प्रदान किये जायेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम 300 अंकों में से उपरोक्त अंकों के योग के अनुसार कुल अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रदान किये गये कुल अंकों के आधार पर श्रेष्ठताक्रम में सूची बनायी जायेगी। इस प्रकार बनायी गयी श्रेष्ठता सूची में से रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना के बराबर संख्या में अभ्यर्थी श्रेष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाये जायेंगे। श्रेष्ठता सूची के अन्तिम अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी पाये जाये तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु पात्र माना जायेगा। इस स्तर पर किसी प्रकार का आरक्षण देय नहीं होगा ।

## 4.2- शारीरिक दक्षता परीक्षा

प्रस्तर-4.1 में वर्णित श्रेष्ठता सूची में पात्र घोषित अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 200 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का संचालन इस प्रयोजन हेतु गठित दल द्वारा किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 16 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते है, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे।

उपरोक्त समय- सीमा के अन्दर अभ्यर्थी द्वारा दौड़ में लिये गये समय के आधार पर अंकों का आवंटन किया जायेगा जिसके लिए अधिकतम 200 अंक और न्यूनतम् 120 अंक होंगे। अभ्यर्थी को अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगेः-

अभ्यर्थियों द्वारा 2.4 कि0मी0 की दौड़ 11 मिनट या उससे कम समय में पूरी करने पर उन्हें अधिकतम 200 अंक प्रदान किये जायेंगे। इसके उपरान्त ऐसी सभी महिला अभ्यर्थी जो 2.4 कि0मी0 की दौड़ 11 मिनट से अधिक एवं 11 मिनट 15 सेकेण्ड तक पूरी करती है, उन्हें 196 अंक प्रदान किये जायेंगे एवं ऐसी सभी महिला अभ्यर्थी जो उपरोक्त दौड़ 11 मिनट 15 सेकेण्ड से अधिक एवं 11 मिनट 30 सेकेण्ड तक पूरी करती है, उन सभी को 192 अंक प्रदान किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार इसी प्रकार दौड़ के समय के बढ़ते हुए क्रम में हर बार, समय के अन्तराल में 15 सेकेण्ड तक के बढ़ने पर महिला अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले अंकों में हर बार 4 अंक कम कर दिये जायेंगे। निर्धारित किये गये उपरोक्त मानक के क्रम के अनुसार इस प्रकार 15 मिनट 30 सेकेण्ड से अधिक एवं 15 मिनट 45 सेकेण्ड तक दौड़ पूरी करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 124 अंक एवं 15 मिनट 45 सेकेण्ड से अधिक

एवं 16 मिनट तक दौड़ पूरी करने वाली सभी महिला अभ्यर्थियों को इस दौड़ के लिए न्यूनतम निर्धारित किये गये 120 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा ऐसी सभी महिला अभ्यर्थी जो 2.4 कि0मी0 की दौड़ 16 मिनट के बाद पूरी करती है, उन्हें असफल माना जायेगा।

**<u>4.3- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा</u>**

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों का मिलान उसके आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अन्तिम माने जायेंगे। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

**<u>शारीरिक मानक परीक्षण के मानक</u>**

**(क) ऊँचाई:**

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

**(ख) वजन:**

न्यूनतम 40 किलोग्राम।

**<u>4.4- चयन तथा श्रेष्ठता सूची</u>**

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के पश्चात सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तर-4.1 के अधीन 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर दिये गये अंक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक के कुल योग के आधार पर, राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत चयन सूची तैयार की जायेगी और उसे संस्तुति सहित चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा एवं 10वीं तथा 12वीं की अंक तालिकाओं के सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जायेगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते है, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः-

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो प्रस्तर-4.1 के अधीन प्राप्त कुल अंकों में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(2) यदि उपर्युक्त के बाद भी एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो प्रस्तर 3.3 में दिये गये अधिमानी अर्हता के क्रम में कोई अधिमानी अर्हता रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(3) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(4) यदि उपर्युक्त के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

## 4.5- 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की अंक तालिकाओं का सत्यापन

चयन सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की अंक तालिकाओं को सत्यापन हेतु सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड को भेजा जायेगा, अगर किसी परीक्षा बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी की 10वीं अथवा 12वीं परीक्षा की अंक तालिकाओं को सत्यापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

## 4.6- चिकित्सा परीक्षा

चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद (मेडिकल बोर्ड) द्वारा चिकित्सा मैनुअल व पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जायेगी। चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और श्रेष्ठता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

## 5-आरक्षण व आयु सीमा में छूट

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

## 5.1- लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण

| क्र0 सं0 | श्रेणी | प्रतिशत | अधिकतम आयु सीमा में छूट | प्रमाण पत्र व प्रारूप | प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जाति | 21 | 05 वर्ष | जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2 | जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटीमजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी |
| 2 | अनुसूचित जनजाति | 02 | 05 वर्ष | जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2 | जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 | 05 वर्ष | जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1 | जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार |

**5.2 -क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण**

| क्र0 सं0 | समूह | प्रतिशत | अधिकतम आयु सीमा में छूट | प्रमाण पत्र व प्रारूप | प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | 02 | - | आश्रित प्रमाण पत्र<br>प्रारूप-3 | जिलाधिकारी |
| 2 | भूतपूर्व सैनिक | 05 | 3 वर्ष * | यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र | जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी |

*भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.3- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्याः2-ईःएमः/2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप-4 के अनुरुप निर्गत होना चाहिये।

5.4- शासन के पत्र संख्या-17/6-पु0-10-2016-27(3)/2016 दिनांक 18 जनवरी, 2016 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमन्यता है।

## टिप्पणी

(1) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरूष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा।

(2) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरूष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा।

(4) उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-1, उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-2 तथा शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का आलेख **प्रारूप-3** पर है।

**(5) भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।**

(6) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार

**क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। **अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-1) 01 अप्रैल, 2016 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती हेतु निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए।**

(7) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें।

(8) लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

(9) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।

(10) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(11) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

(12) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है, वें अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें।

## 6- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक हैः-

क- शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी अभिलेख-

10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्र

ख- अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अभिलेख (यदि कोई हो तो)-

(1)- डोएक (DOEACC)/नाइलिट (NIELIT) सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का प्रमाण-पत्र या

(2)- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र या

(3)- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र।

ग- आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख(यदि लागू हो)-

(1)- मूल निवास प्रमाण पत्र

(2)- अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित **प्रारूप-1** पर (01 अप्रैल, 2016 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि तक) निर्गत होना चाहिए।

(3)- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-2** पर (इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि तक या इससे पूर्व) निर्गत होना चाहिए।

(4)- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-3** पर निर्गत होना चाहिए।

(5)-भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट'।

(6)- आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-4** पर होना चाहिए।

घ- फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और आवक्ष तक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर।

## 7-ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

7.1- आवेदन करने हेतु 'ऑनलाइन आवेदन पद्धति' लागू है।

7.2- 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(1) बोर्ड की वेबसाइट **http://prpb.gov.in** पर जायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें।

(3) बोर्ड की वेबसाइट पर **'Candidate's Registration'** को 'क्लिक' करने पर आवेदन का एक प्रारूप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी वांछित सूचनायें भरेंगे।

(4) ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन चरणों में किया जायेगाः-

**(i) प्रथम चरण-पंजीकरण**

अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित **'Candidate's Registration'** को क्लिक करने पर प्राप्त फार्म में सूचनायें भरकर पंजीकरण करें तथा **Registration Slip** प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रख लें। ध्यान रखें कि अगले चरण में रजिस्ट्रेशन नम्बर अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर सही-सही प्रविष्ट करना होगा।

**(ii) द्वितीय चरण-शुल्क का भुगतान**

अभ्यर्थी ई-चालान, इण्टरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल कर सकता है। यदि ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना हो तो अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक का ई-चालान प्रिन्ट कर लें। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी को एक ट्रान्जेक्शन आईडी प्राप्त होगी जिसका उपयोग कर अभ्यर्थी फार्म का तीसरा भाग तत्काल भर सकता है। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि में उसका भुगतान कर सकता है।

**(iii) तृतीय चरण-आवेदन पत्र जमा किया जाना**

(1) निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद 'सबमिट अप्लीकेशन फार्म लिंक' को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, ट्रान्जेक्शन आईडी आदि भरने के बाद प्रोसीड बटन को क्लिक करेगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को अपना फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा।

(2) अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार (न्यूनतम 20 के0बी0 तथा अधिकतम 50 के0बी0) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष होनी चाहिए। फोटो का आकार 35 मि0मी0 (1.4 इंच) x 45 मि0मी0 (1.75 इंच) का होना चाहिए । सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिएः-

1- चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए।
2- नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।
3- कंधें साफ दिखने चाहिए।
4- सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
5- ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70 प्रतिशत भाग आच्छादित करता हो।
6- तटस्थ अभिव्यक्ति (मुंह बन्द, ऑखें खुली)।
7- चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हुए।
8- कैमरे पर सीधी नजर हो।
9- चश्मा पहनने की स्थिति में ऑखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए।
10- फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए ।

यदि उपरोक्तानुसार फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को ऑनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा।

(3) आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद **'View Application Form'** को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयीं हैं।

(4) पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद आवेदन पत्र बोर्ड को जमा करने हेतु **'Submit'** बटन को क्लिक करें। **यदि अभ्यर्थी द्वारा 'Submit' बटन को क्लिक नहीं किया जायेगा तो आवेदन बोर्ड को प्राप्त नहीं होगा।**

(5) **'Submit'** बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट आउट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आउट बोर्ड में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7.3- एक बार आवेदन **'Submit'** करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।

7.4- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण-पत्र/अंकतालिका प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु ऑनलाइन आवेदन करते समय सही प्रमाण-पत्र संख्या, अनुक्रमांक तथा प्राप्तांक आदि का विवरण भरना आवश्यक होगा।

7.5- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध रहेंगे।

**7.6- आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-**

(1) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

**8-अन्य**

1- विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थाई है।

2- अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।

3- किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, ऐसे पुरूष से विवाह करने जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो या तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एव चयनों से प्रतिवारित **(Debar)** करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

4- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/ सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

5- इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

6- यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभाष की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

**9-बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा**

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

**10-न्यायिक क्षेत्राधिकार**

इस विज्ञापन तथा उसके प्रत्युत्तर में आवेदन से उत्पन्न किसी दावे या विवाद हेतु कानूनी कार्यवाही केवल लखनऊ स्थित न्यायालय में ही शुरू की जा सकेगी।

**अपर सचिव (भर्ती)**
**उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,**
**लखनऊ।**

## प्रारूप-1

## उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री...........................................निवासी ग्राम...................तहसील.....................नगर..........................जिला................................ उत्तर प्रदेश राज्य की..................................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..........................पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....................................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम...........................तहसील...........................नगर............................जिला............... ..........में सामान्यतः रहता है।

स्थान................................

दिनांक..............................

मुहर................................

हस्ताक्षर............................

पूरा नाम............................

पदनाम..............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

**<u>प्रारूप-2</u>**

**<u>उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र</u>**

शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..................................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री............................................निवासी ग्राम...................तहसील......................नगर..........................जिला................................. उत्तर प्रदेश राज्य की..................................जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....................................तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.........................ग्राम.............................तहसील.................नगर............................जिला ..........................में सामान्यतया रहता है।

स्थान.................................

दिनांक..............................

मुहर..................................

हस्ताक्षर..............................

पूरा नाम.............................

पदनाम ..............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

## प्रारूप-3

### उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21अप्रैल, 2015

### प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.......................................निवासी ग्राम.........................................................तहसील.....................नगर......................जिला ......................'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993' के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)........................पुत्र/पुत्री/पौत्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..................................के आश्रित हैं।

स्थान.......................................

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर....................................

पूरा नाम...................................

पद नाम....................................

मुहर.........................................

जिलाधिकारी(सील)

**प्रारूप-4**

**उ0 प्र0 कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डर की भर्ती हेतु आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप**

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाये जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी..............................राज्य सरकार के कर्मचारी है जो **वेतनमान**.................................... में ........................ के पद पर ..........................................विभाग/कार्यालय में दिनांक.........................से नियमित आधार पर सेवारत हैं।

स्थान........................................

दिनांक.......................................

हस्ताक्षर.......................................

(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)

नाम.....................................

पद नाम.....................................

मुहर..............................